फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6)
श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>02.02.2024</td><td>अनवान-अपील संख्या 06/2024
श्री पुरूषोत्तम पिता श्री राधाकिशन भाम्बी, निवासी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी खानपुरा, मन्दसोर, तहसील व जिला मंदसोर-मध्यप्रदेश मृतक के बजाय विधिक वारिसान-
1. श्री सुनिल देपन पिता स्व. श्री पुरूषोत्तम भांम्बी,
2. श्री विजय देपन पिता स्व. श्री पुरूषोत्तम भांम्बी,
3. श्री कमलेश देपन पिता स्व. श्री पुरूषोत्तम भांम्बी,
4. श्रीमती शान्ती देवी पत्नि स्व. श्री पुरूषोत्तम भांम्बी,
सभी निवासी कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ हाजल निवासी खानपुरा, मन्दसोर, तहसील व जिला मंदसोर-मध्यप्रदेश
अपीलार्थी
1. श्री शंकरलाल पिता श्री खुबचन्द भांम्बी, निवासी पुराने सरकार हॉस्पीटल के आगे, भीलों के देवरे के पास, कपासन, तहसील कपासन, चित्तौड़गढ़।
2. नगर पालिका, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
प्रत्यर्थी
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी
2. श्री मनीष मोगरा - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री सुरेश जी - वकील प्रत्यर्थी-2

अपील अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका, कपासन द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ. नपाक/भूमि/2023-24/2831-2883 निर्णय दिनांक 11.08.2023

<u>निर्णय</u>
दिनांक 02.02.2024
उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका, कपासन द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.नपाक/भूमि/2023-24/2831-2883 निर्णय दिनांक 11.08.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।
प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-
• वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री शंकरलाल बुनकर (भांम्बी) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नगरपालिका, कपासन समक्ष राजस्व ग्राम कपासन तहसील कपासन के आराजी संख्या 5904 किता 1 रकबा 0.79 हेक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका, कपासन द्वारा स्वीकार करते आदेश क्रमांक एफ.नपाक/भूमि/2023-24/2831-2883 निर्णय दिनांक 11.08.2023 अन्तर्गत धारा-90क एलआर एक्ट का पारित किया।
प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका, कपासन के आदेश क्रमांक एफ.नपाक/भूमि/2023-24/2831-2883 निर्णय दिनांक 11.08.2023 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6) **श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के फोत होने पर उसके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा-151 जादी मय वकालतपत्र व संशोधित अनवान पेश किया, जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा-151 जादी का स्वीकार किया जाना अपीलार्थी के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। दिनांक 02.02.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। सभी पक्षकारान की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम पर भी जवाब प्रस्तुत किये गये। अधिवक्तागण की प्रकरण में मयाद के बिन्दु, दफा 96 जादी के बिन्दु एवं प्रकरण में गुणावगुण पर बहस पर निम्नानुसार विचार एवं विश्लेषण किया गया। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन प्रस्तुत किये है** कि राजस्व ग्राम कपासन में आराजी संख्या 5904 रकबा 0.79 है., आराजी संख्या 5902 रकबा 0.01 है. आराजी संख्या 5903 रकबा 0.02 है., कुल किता 3 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी मुकना पिता सवाईराम व तुलसा पिता मुकना के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर अपीलार्थी की पैतृक भूमि है, जिस भूमि के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रत्यर्थी व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत कर उक्त आराजी भूमि के 1/4 हक व हिस्से का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के प्रकरण संख्या 86/2021 होकर उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रत्यर्थी-1 द्वारा वाद वर्णित आराजीयात में आरजी संख्या 5904 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि का धारा-90 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कृषि से अकृषि में रूपान्तरण कराने का आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त के है। उक्त वाद के अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 1050/2023 एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में अपील संख्या 39/2023 भी विचाराधीन है। उक्त वाद की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई और ऐसे वादों के लम्बित रहते हुए धारा-90क की कार्यवाही विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया, वह अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया, जिससे उसे अपीलाधीन निर्णय की किसी प्रकार जानकारी न हो सकी और जानकारी होते ही अपीलार्थी के पुत्र द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे समय पर प्रतिलिपि नहीं दी गई। निर्णय की जानकारी हुई और नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अपीलार्थी उक्त भूमि का अधिकारी होने अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश की गई क्योंकि अपीलाधीन आदेश से उपरोक्त तथ्यानुसार अपीलार्थी के हित प्रथम दृष्टया प्रभावित होते है और अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, न नोटिस जारी किया गया और अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया, जिससे पारित निर्णय पूर्णतया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6) **श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अविधिक होकर काबिल निरस्त के है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया। **प्रत्यर्थी-1 द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन प्रस्तुत किये कि** आवेदित भूमि का प्रत्यर्थी-1 खातेदार काश्तकार है, जिसने विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी खातेदारी भूमि को समर्पित करते धारा-90 की कार्यवाही बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए अखबार में उजरदारी आमत्रिंत करते हुए संबंधित विभागों एवं तहसीलदार से सहमति रिपोर्ट प्राप्त करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90का पारित किया, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त संपरिवर्तित भूमि के पट्टे भी जारी किये जा चुके है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। उक्त भूमि तुलछा वल्द मुकना द्वारा दिनांक 07.12.1960 को पंजीकृत विक्रय विलेख से रेस्पोडेंट के पिता को विक्रय की, इस प्रकार श्री तुलछा का भूमि को विक्रय कर दिये जाने उपरान्त किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार उक्त भूमि ें उसके उत्तराधिकारियों का नहीं रहा। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति नहीं है, उसके अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा-90क की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं किये जाते है, इस कार्यवाही हेतु खातेदार ही आवेदन प्रस्तुत कर धारा-90क की कार्यवाही करा सकता है। इस प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार श्री शंकरलाल द्वारा अपने खातेदारी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय समक्ष समर्पित करते हुए धारा-90क की कार्यवाही हेतु आवेदन किया है। इस भूमि का अपीलार्थी कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा। अपीलार्थी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने हक व अधिकार सक्षम न्यायालय से तय करावें और अपने अधिकार तय कराने उपरान्त ही उसे अपील पेश करने का अधिकार है। जहां पर अपीलार्थी द्वारा कथित दावों के लम्बित होने का प्रश्न है, उन दावों में किसी प्रकार का स्थगन प्रदान नहीं किया गया है संक्षिप्त में यह लेख है कि अपीलार्थी न तो उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, न उसका कब्जा है, ऐसी स्थिति में उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील पूर्णतया मयाद बाधित है क्योंकि धारा-90क के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अखबार उजरदारी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपील मेमों में निर्णय जानकारी दिनांक 23.08.2023 को होना बताया ऐसें में उसे अपीलाधीन आदेश की अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी फिर भी न्यायालय हाजा समक्ष झुठे शपथ पत्र के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य हैं। **अधीनस्थ न्यायालय नगरपालिका, कपासन के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** द्वारा अपने कथन प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90क का आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। विवादित आराजीयात तुलछा पिता मुकना के नाम राजस्व रेकर्ड में साबिक दर्ज रही है। दिनांक 10.12.1960 को पंजीकृत विक्रय पत्र से तुलछा जी ने खुबचन्द को विक्रय की जो पत्रावली पर प्रस्तुत 16.08.2023 की लिखित रिपोर्ट में दर्शित है। खुबचन्द जी के फौत होने पर उक्त आराजीयात राजस्व रेकर्ड में श्रीमती इन्द्रा, बसन्ती एवं प्रतापी पत्नि खुबचन्द के नाम दर्ज हुई। दिनांक 31.12.2020 को इन्द्रा, बसन्ती एवं प्रतापी द्वारा प्रत्यर्थी-1 श्री शंकरलाल के पक्ष में हकत्याग किया जिससे विवादित आराजीयात प्रत्यर्थी-1 के नाम राजस्व रेकर्ड में तद्नुसार दर्ज की गई और एक रेकर्ड खातेदार द्वारा अपनी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6) **श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन विधि अनुसार कराया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक समझते है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति होने के संबंध में विभिन्न उजरात प्रस्तुत किये जिसके खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 2 द्वारा दृढ़ता से अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट हुई है कि विवादित आराजीयात तुलछा पिता मुकना के नाम राजस्व रेकर्ड में साबिक दर्ज रही है। दिनांक 10.12.1960 को पंजीकृत विक्रय पत्र से तुलछा जी ने खुबचन्द को विक्रय की जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत 16.08.2023 की लिखित रिपोर्ट में दर्शित है। खुबचन्द जी के फौत होने पर उक्त आराजीयात राजस्व रेकर्ड में श्रीमती इन्द्रा, बसन्ती एवं प्रतापी पत्नि खुबचन्द के नाम दर्ज हुई। दिनांक 31.12.2020 को इन्द्रा, बसन्ती एवं प्रतापी द्वारा प्रत्यर्थी-1 श्री शंकरलाल के पक्ष में हकत्याग किया जिससे विवादित आराजीयात प्रत्यर्थी-1 के नाम राजस्व रेकर्ड में तद्नुसार दर्ज की गई और एक रेकर्ड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन विधि अनुसार कराया गया। इन तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय पर दस्तावेजात उपलब्ध होकर इनका अंकन भी किया गया गया। सवप्रर्थम यह मुख्य रूप से देखा जाना अपेक्षित है कि आवेदित आराजी संख्या 5904 रकबा 0.79 हैक्टेयर कभी भी अपीलार्थी के नाम दर्ज रहा है या नहीं। इस संबंध में अभिलेखों पर ऐसा कोई दस्तावेज न तो उपलब्ध है, न ही प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता हो कि अपीलार्थी आवेदित भूमि का कभी खातेदार काश्तकार रहा हो, या उसके कब्जे में रही हो। इसके अतिरिक्त यह भूमि कभी भी अपीलार्थी की पैतृक भूमि रही हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति जाहिर नहीं होता है क्योंकि विवादित आराजीयात कभी भी उनके व्यक्तिगत नाम से खातेदारी दर्ज नहीं थी और न ही वह इस भूमि पर मालिक होकर काबिज है। साथ ही उनके कोई वैधानिक अधिकार प्रकट नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार्य योग्य नहीं है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम दफा 96 जादी पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6) **श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते है: **RBJ 2014(21) Page 388**: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – When name of petitioner has not been entered in the revenue record, he has not Locus Standi to challenge the order passed under section 90B. It is abundantly clear that the petitioner is claiming his right on the ground that his name was erroneously not entered in the revenue record and respondent No. 5 and 6 got conversion of land in their favour under section 90B of the Act of 1956. The Divisional Commissioner has rightly rejected the petitioner's prayer on the ground that he has no locus standi because as per petitioner admission, his name is not entered in revenue record. However, if any right will be determined by the Civil Court in the suit filed by him. Then, the petitioner will be at liberty to raise voice against the order passed under section 90B of the Act of 1956 but at this stage no relief can be granted to the petitioner solely on the ground that his name is not entered in the revenue record. Writ petition dismissed. **RBJ 2011(18) Page 510**: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – Only a person who has interest in the land, can challenge acquisition of land – it is a well settled proposition of law that is only a person, who has an interest in the land, can challenge acquisition. When a challenge is made to an acquisition at a belated stage, then even of the court is inclined to allow such a belated challenge, it must first satisfy itself that the person challenging acquisition has title to the land. Writ petition dismissed. मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा अपने अपने कथन प्रस्तुत किये जिसमें अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख उज्र प्रस्तुत किया जिसके खण्डन के अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी आरम्भ से होने का कथन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अखबार उजरदारी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया परन्तु अखबार प्रकाशन के उपरान्त किसी प्रकार का उज्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अखबार प्रकाशन के उपरान्त यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदित भूमि के संबंध में धारा-90क के तहत प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को न हो। इसके अतिरिक्त अपील मेमों में अंकित किया है कि उक्त भूमि के संबंध में पुनर्ग्रहण की कार्यवाही के बाबत अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.08.2023 को आपत्ति प्रस्तुत की। यह अंकन प्रकट करता है कि अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.08.2023 को ही हो गई थी। इसके उपरान्त अपील मेमों के बिन्दु संख्या 9 में जो अंकन किया गया, उसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये जो यह जाहिर करता हो की अपीलार्थी के किस दिनांक को नकल प्रस्तुत की और प्रतिलिपि किस दिनांक को प्राप्त हुई। दस्तावेजों के अभाव में एवं अपीलार्थी स्वयं द्वारा किये गये दिनांक 23.08.2023 की जानकारी के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश अन्तर्गत धारा-90क की जानकारी न हो। प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6) **श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी द्वारा 3 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम मयाद के बिदुं पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते हैः **<u>आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)</u>** परिसीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-विलम्ब का शमन-अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब-मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती-उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यया यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा - विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं-निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है। **<u>आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)</u>** Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late fiing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He come to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he come to know the judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6) **श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	barred. उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी-1 श्री शंकरलाल बुनकर (भांम्बी) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नगरपालिका, कपासन समक्ष राजस्व ग्राम कपासन तहसील कपासन के आराजी संख्या 5904 किता 1 रकबा 0.79 हेक्टेयर कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ खातेदारी अधिकार समर्पण किये जाने बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 अनुसार आवेदक श्री शंकरलाल भांम्बी आवेदित भूमि का खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार श्री शंकरलाल भांम्बी ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर समाचार पत्र राष्ट्रदुत दिनांक 13.12.2022 के अंक में प्रकाशित कर सर्व साधारण से 7 दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई, जिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बधित तहसीलदार एवं स्थानीय अधिकारी से सहमति रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के परिक्षण उपरान्त यह पाया कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इन तथ्यों अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदित भूमि के संबंध में अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा-90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 दिनांक 11.08.2023 को प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में पारित किया। जहां तक विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की स्थिति का प्रश्न है, अधिवक्ता अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि वक्त आदेश अन्तर्गत धारा-90क, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो या प्रभावी हो। इस न्यायालय समक्ष धारा-90क के आदेश की विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें किसी के हक व अधिकार साबित नहीं किये जा सकते है। हस्तगत प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार श्री शंकरलाल भांम्बी अपनी खातेदारी की भूमि के संबंध में धारा-90क की कार्यवाही चाही गई, इस न्यायालय समक्ष धारा-90क की कार्यवाही में की गई त्रुटि के संबंध में जांच अपेक्षित है जिसमें उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 06/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/6) **श्री पुरूषोत्तम भाम्बी के बजाय सुनिल व अन्य बनाम श्री शंकरलाल भाम्बी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार श्री शंकरलाल ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इस संबंध मे हम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थाान अजमेर में निम्नांकित दृष्टांत का भी उल्लेख किया जाना उचित पाते हैः **RBJ 2014(21) Page 97**: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – When the Khatedar tenant of the land applies for conversion of his khatedari land before authorized officer and after enquiry as per Rules for conversion of land order is passed. Order of conversion cannot be interfered in revision. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदारान ने अपनी खातेदारी की आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित रूपान्तरण आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। Revision petition dismissed. उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। गुणावगुण पर प्रकरण के विस्तृत विश्लेषण एवं परिक्षणोपरांत भी यह पाया गया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी के रूपान्तरण आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **परिणामतः अपील अपीलान्ट मयाद बाधित होने, अपीलार्थी के व्यथित व्यक्ति नहीं होने से एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका, कपासन का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2023 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	